महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्था./एच.ओ/बैठक पत्रा./2018/2/21693-793 दिनांक:- 11/7/18

-: परिपत्र :-

प्राय: ऐसा देखने में आया है कि कारागृह प्रभारियों द्वारा रोटेशन के आधार पर सुरक्षा कार्मिकों(प्रहरी/मुख्य प्रहरी) को अवकाश आरक्षित के रूप में नहीं लगाया जा रहा है जिसके कारण अनावश्यक रूप से सुरक्षा कार्मिकों द्वारा इस कार्यालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते है, जबकि महानिदेशालय कारागार, जयपुर के आदेश संख्या स्था./एच.ओ./ अ.आ./प्र.मु.प्र./22606-705 दिनांक 21.08.2002 से समस्त कारागृह प्रभारियों को रोटेशन से अवकाश आरक्षित के रूप में ड्यूटी लगाने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

अत: भविष्य में अधीनस्थ कारागृह प्रभारी द्वारा मांग किये जाने पर पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कार्मिकों(प्रहरी/मुख्य प्रहरी) को अवकाश आरक्षित के रूप में रोटेशन के आधार पर अधिकतम् तीन माह के लिए लगाया जावें एवं इसकी सूचना मुख्यालय कारागार को भेजी जावें तथा भविष्य में कारागृह स्तर पर वरिष्ठता क्रम में अवकाश आरक्षित कार्मिकों की एक सूची तैयार की जाकर उसका अनुमोदन महानिदेशालय कारागार से कराकर उसके अनुरूप सुरक्षा कार्मिकों को अवकाश आरक्षित के तौर पर रोटेशन से लगाया जावें।

(भूपेन्द्र सिंह)
अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज, जयपुर,जोधपुर,उदयपुर।
2. निजी सचिव, अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. उपाधीक्षक/प्रभारी, महिला सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
8. किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
9. प्रभारी, खुला बंदी सुधारगृह, जैतसर।
10. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय कारागार, जयपुर।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी, कन्ट्रोल रूप वास्ते समस्त को ई-मेल करने हेतु।
13. रक्षक पत्रावली।

अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर
11/7